न्यायालयः मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर।

परिवाद पत्र संख्या–330/2022

दिनांक
27.03.2023

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। वाद पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नही हुए। परिवादी अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादीनी की ओर से दिनांक 17.10.2022 को अभियुक्त इसर राय वगै0 के विरूद्ध परिवाद पत्र दाखिल किया गया। दिनांक 11.11.2022 का परिवादीनी का शपथ पर बयान दर्ज किया गय। परिवादनी दिनांक 19.11.2022 से लगातार अनुपस्थित है। परिवादीनी को दिनांक 20.02.2023 को जाँच साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। परंतु परिवादीनी की ओर से आज भी काई पैरवी नही की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादीनी को परिवाद पत्र चलाने में कोई अभिरूचि नही रह गई।

ऐसी स्थिति में परिवादीनी की ओर से दाखिल परिवाद पत्र को **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
शिवहर। 27/03/23